धारा 17 : प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन

(1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागतः अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर पूर्तियों सहित कराधेय पूर्तियों को पूर्ण करने के लिए और भागतः उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर पूर्तियों सहित उक्त कराधेय पूर्तियों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा।

[1](3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसी पूर्ति, जिस पर प्राप्तिकर्ता प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर के संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा।

[2][**स्पष्टीकरण**–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''छूट–प्राप्त पूर्ति का मूल्य'' पद में [3][निम्नलिखित के सिवाय, उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा,–

(i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य; और

(ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड (क) के संबंध में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किये जाये;**]**

(4) किसी बैंककारी कंपनी या किसी ऐसी वित्तीय संस्था के पास, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धनों को प्रदान करके सेवाओं की पूर्ति करने में लगी हुई है, या तो उपधारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या प्रत्येक मास में उस मास के इनपुटों, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जाएगा :

परन्तु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को की गई पूर्तियों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा।

---

1 देखें माल और सेवा कर (कठिनाईयों का चौथा निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 4/2019–केन्द्रीय कर], दिनांक 29.03.2019 (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 02/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा ''अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :–

[4][**(क)** तेरह से अनधिक (चालक सहित) बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :–

(क) ऐसे मोटरयान की और पूर्ति; या

(ख) यात्रियों का परिवहन; या

(ग) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग–

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :

(क) ऐसे मोटरयान की और पूर्ति; या

(ख) यात्रियों का परिवहन; या

(ग) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(घ) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ii) माल के परिवहन के लिए,

---

4 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा वर्तमान खंड (क) एवं (ख) के स्थान पर खंड (क), (कक), (कख), (ख) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थे:

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, तब के सिवाय जब उनका उपयोग,–

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्तियों के लिए किया जाता है, अर्थात्:–

(अ) ऐसे यानों या प्रवहणों की आगे की और पूर्ति के लिए; या

(आ) यात्रियों के परिवहन के लिए; या

(इ) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए;

(ii) माल के परिवहन के लिए;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति के लिए:–

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के कारक के रूप में किया जाता है ;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता ;

(iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां ,–

(अ) सरकार ऐसी सेवाओं को अधिसूचित करती है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है; या

(आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी आवक पूर्ति का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के भागरूप किया जाता है; और

(iv) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत जैसे प्रावकाश पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा फायदे ;"

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है:

परन्तु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा–

(i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ii) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो–

(I) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(II) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवा या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति–

(i) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा:

परन्तु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए समिश्र या मिश्रित पूर्ति के एक तत्व के रूप में किया जाता है;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता; और

(iii) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत, जैसे छुट्टियों पर कर्मचारियें को विस्तारित यात्रा फायदे :

परन्तु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियें को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो।**]**

(ग) (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनकी पूर्ति स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए की जाती है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा आगे और पूर्ति के लिए कोई आवक सेवा है;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के वास्ते (**[5]**[संयंत्र और मशीनरी**]** से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाएं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है।

---

5 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा ''संयंत्र या मशीनरी'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

स्पष्टीकरण [6]**[1.]**—खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, ''सन्निर्माण'' पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति के पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है;

[7]**[स्पष्टीकरण 2.**— खंड (घ) के प्रयोजनो के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ''संयंत्र या मशीनरी'' के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ लगाया जाएगा तथा ''संयंत्र और मशीनरी'' के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा।**]**

(ङ) ऐसे माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है;

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों;

[8]**[(चक)** कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिये उपयोग किया जाता है या उपयोग किये जाने के लिये आशयित है;**]**

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, अपलिखित दान या निःशुल्क सैंपल द्वारा व्ययनित माल;

(झ) [9]**[**वित्तीय वर्ष 2023–24 तक किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में धारा 74**]** संदत्त कोई कर।

(6) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसे उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय प्रदान किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय और अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए, ''संयंत्र और मशीनरी'' पद से ऐसे साधित्र, उपस्कर और बुनियाद या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत है, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसी बुनियाद या संरचनात्मक आलंब भी हैं, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं,–

(i) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल संरचनाएं;

(ii) दूर–संचार टावर; और

(iii) कारखाना परिसरों के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें।

उपयुक्त नियमः नियम 38, 42 एवं 43
उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटीआर–2

---

6 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा स्पष्टीकरण पुनःसंख्यांकित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

7 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

8 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा खण्ड (चक) अंतःस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

9 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा ''धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।